एयर फोर्स नेवल हाऊसिंग बोर्ड
AIR FORCE NAVAL HOUSING BOARD
एयर फोर्स स्टेशन रेस कोर्स, नई दिल्ली-110003
Air Force Station Race Course, New Delhi-110003
Tele No. : 23793462 / 3463 / Fax : 23014942 Email : directorgeneral@afnhb.org, Website : www.afnhb.org

AFNHB/WKS/1537 XXI 22 Nov 19

Project Director – AFNHB Meerut
4B, Shatabdi Nagar
PO- Partapur
Meerut – 250103

FORWARDING OF PART COMPLETION CERTIFICATE
MEERUT PROJECT

Annexed please find a copy of Part Completion Certificate issued by MDA vide their letter No.3508/मानo अनo जोनo-A/19 dtd 21 Nov 19 for your information and further appropriate action.

(A Sachdev)
Gp Capt
GM(Wks)

Encl : As stated above.

Internal

GM(F)
GM(A)
DGM(L)
AGM(L&S)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 3508/म0वि0प्रा0 अनु0 जोन-A/19 दिनांक : 21-11-2019

पार्ट पूर्णता प्रमाण–पत्र

प्रेषक,

नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

श्री ए. सचदेव (ग्रुप कैप्टन),
सहायक प्रबन्धक (WKS)
एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड,
4बी, शताब्दीनगर, परतापुर,
मेरठ।

विषयः– **आवेदन सं–CC20190304130154023 के क्रम में पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया आपके द्वारा उपर्युक्त विषयक ऑनलाईन आवेदन संख्या–CC20190304130154023 हाई–रिस्क श्रेणी में भूखण्ड संख्या–4बी, शताब्दीनगर, मेरठ के क्षेत्रफल 40396.52 व.मी. पर 'ग्रुप हाउसिंग' के पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिस पर उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दिनांक 20.11.2019 के क्रम में **ब्लॉक संख्या–01, 06, 07, 08, कम्यूनिटी हॉल तथा सुविधाजनक दुकानों** का **पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र** निम्नलिखित शर्तो के साथ निर्गत किया जाता हैः–

1. एनवॉयरमेन्ट क्लीयरेन्स प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् पार्ट कम्पलीशन ड्राईंग निर्गत की जायेगी।
2. सम्पूर्ण निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरान्त एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड को सम्पूर्ण परिसर का एकीकृत कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राधिकरण से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. मूल स्वीकृति एवं शमन तथा आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र के समय अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों तथा दिये गये शपथ–पत्रों के कथनों का पालन करना होगा।
4. सम्पूर्ण परिसर का पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किये जाते समय पुनः पूर्व में जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र वाले भाग का तकनीकी/स्थलीय परीक्षण करने का अधिकार मेरठ विकास प्राधिकरण का होगा।
5. फायर तथा अन्य विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में अंकित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा इसमें शिथिलता बरतने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।

6. भवन के स्ट्रक्चरल सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी वास्तुविद्, सुपरविजन करने वाले इंजीनियर तथा विकासकर्ता की होगी।
7. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन व रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
8. वाटर सप्लाई/सीवर तथा अन्य किसी भी प्रकार के रख–रखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा किसी भी समय आन्तरिक विकास कार्यों को हैण्डओवर करने की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
9. विकासकर्ता को सम्पूर्ण लेबर सेस नियमानुसार जमा करना होगा तथा श्रम विभाग से देयता के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के उपरान्त ही पार्ट कम्पलीशन ड्राईंग निर्गत की जायेंगी।
10. अपार्टमेन्ट एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
11. निर्माण सामग्री लेकर परिसर में आने वाले वाहनों तथा अन्य निर्माणाधीन टावरों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ कोई दुर्घटना ना हो इसका समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।

नगर नियोजक, 21/11/09
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।